राजस्थान सरकार
निदशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक– एफ 5/दीर्घकालीन ऋण/कोषएलटीए/10–11/3735-3773 दिनांक 22/7/2011

1. कोषाधिकारी
   समस्त
2. भुगतान एवं लेखाधिकारी
   बीकानेर हाउस, नई दिल्ली

परिपत्र सं. 8/2011 (कोष एवं बजट)

विषय– दीर्घकालीन ऋण ।

वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के पत्राक– प.7(1)वित्त/राले–1/1–80 दिनांक 6.5.88 के अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रदान किए गए दीर्घकालीन ऋण यथा भवन निर्माण अग्रिम एवं वाहन अग्रिम की वृहद पुस्तिका के सभी स्तम्भों की पूर्ति की जानी चाहिए। महालेखाकार कार्यालय लेखा एवं हक, जयपुर द्वारा वर्ष 2010–11 में कोषालयों/उपकोषालयों के निरीक्षण के उपरान्त प्रस्तुत वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन में व्यक्त किया गया है कि कई कोषालयों द्वारा नियमानुसार पूर्ण रूप से वृहद पुस्तिकाओं का संधारण नहीं किया गया । निरीक्षण के दौरान साधारणतया निम्नलिखित कमियां/त्रृटियां पायी गई :–

1 अधिकांश खातों में ऋण की स्वीकृति संख्या एवं दिनांक, मासिक किश्त की दर, किश्तों की संख्या, कोषालय वाउचर संख्या व दिनांक आदि के विवरण अंकित नहीं किया जाना।
2 वर्ष की कुल कटौतियों का योग कर अवशेष राशि, ऋणियों को सूचित नहीं किया जाना।
3 अवशेष मूलधन/ब्याज को आगे नहीं ले जाया गया है।
4 वृहद पुस्तिकाओं में पृष्टवार योग नहीं किए गए हैं तथा न ही योग को अग्रेषित किया गया है, जिससे कपटपूर्ण खतौनी की तथा शेष की संदिग्धता की संभावना बनती है।
5 प्रत्येक माह वृहद्ध पुस्तिका बन्द की जानी चाहिए तथा कोषाधिकारी द्वारा यह प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए कि डेबिट/क्रेडिट की राशि मासिक लेखे के क्रमशः भुगतान एवं प्राप्ति लेखे में अंकित भवन निर्माण/वाहन अग्रिम की राशि से मेल खाती है । यदि कोई अन्तर हो तो उसका विश्लेषण किया जाना चाहिए।
6 लुप्त कटौती की सूचना ऋणियों को नहीं दी गई है।

वृहद पुस्तिकाओं के संधारण न करने वाले कोषालयों की सूची संलग्न कर निर्दिष्ट किया जाता है कि उक्त कमियां की पूर्ति करें तथा भविष्य में सुनिश्चित किया जाए कि वृहद पुस्तकाआ का सधारण नियमानुसार किया जा रहा है।

इन निर्देशों की कड़ाई से पालना की जावे।

निदेशक

क्रमाक– एफ 5/दीर्घकालीन ऋण/कोषएलटीए/10–11/3774-3779 दिनांक 22/7/2011
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1.महालेखाकार (लेखा एवं हक,)राज0 जयपुर
2.उप शासन सचिव, वित्त(मार्गोपाय अनुभाग)विभाग, सचिवालय, जयपुर
3.उप शासन सचिव, वित्त(राजस्व)विभाग, राज0 जयपुर
4. उप निदेशक(कोष)
5. प्रमुख प्रणाली विश्लेषक, एन आई सी सैल, वित्त भवन को प्रेषित कर लेख है कि परिपत्र को निदेशालय की वेबसाईट पर "CIRCULAR" शीर्षक के अन्तर्गत अपलोड करवाएं।
6. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदशक(कोष एव बजट)

परिशिष्ट संख्या - 43

(संदर्भ पैरा संख्या 3.7.1)

समीक्षा वर्ष 2010-11

दीर्घकालीन ऋण की वृहद पुस्तिकाओं का अपूर्ण संधारण (भवन/वाहन)

क्र.सं.	उपकोष	कोषालय
1	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा
2	सीकर	सीकर
3	डूंगरपुर	डूंगरपुर
4	बून्दी	बून्दी
5	जयपुर (शहर)	जयपुर (शहर)
6	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
7	नई दिल्ली	नई दिल्ली
8	नागौर	नागौर
9	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर
10	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
11	चुरू	चुरू

परिशिष्ट संख्या - 44
(संदर्भ पैरा संख्या 3.7.2)
समीक्षा वर्ष 2010-11

भवन/वाहन अग्रिम के पेटे ब्याज की राशि कम वसूली करना

क्रम संख्या	उपकोष	कोषालय	विवरण	दण्डनीय ब्याज राशि
1	भरतपुर	भरतपुर	श्री रमेश चन्द,ए.एस.आई. जिला पुलिस अधीक्षक, भरतपुर	3,181
			श्री सालिग राम, शारीरिक शिक्षक,रा.उ.मा.वि., भदीरा	993
2	दौसा	दौसा	श्री दिवाकर पटवारी, प्राचार्य सुदर्शन राज. महाविद्याल,बीकानेर	47
3	करौली	करौली	श्री घनश्याम शर्मा, पंप चालक	2,538
			श्री रूपसिंह जाट, वरिष्ठ अध्यापक	1,430
4	नागौर	नागौर	श्री पुरखा राम	1,725
			श्रीसुर्यकान्त	933
5	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	श्री हरिसिंह माथुर, सेवानिवृत कार्यालय सहायक (भवन ऋण) श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल, भू.पू. कार्यालय सहायक (भवन ऋण)	7,674 7,147
6	सिरोही	सिरोही	श्री हंसाराम परिचालक, जिला आयुर्वेद अधि. सिरोही (वाहन ऋण)	851
			श्री कमलकान्त देवड़ा, कृषि अधिकारी, भू-संरक्षक,पं.स. सिरोही	1,110
			योग	30,659